पटना में दिनांक–02 अक्टूबर, 2016 रविवार को अपराह्न 01:00 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

मंत्रिपरिषद् द्वारा निम्नलिखित संकल्प लिया गया

1. बिहार मद्य निषेध और उत्पाद विधेयक 2016 को बिहार विधान मंडल द्वारा दिनांक 04.08.2016 को पारित किया गया है। महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 07.09.2016 द्वारा इसे अनुमोदित किया गया। मंत्रिपरिषद् द्वारा दिनांक 14.09.2016 को कार्यपालिका नियमावली के प्रावधानों के तहत सर्वसाधारण की सूचना के लिए विधि विभाग के माध्यम से दिनांक 02.10. 2016 को अधिसूचित कर उक्त तिथि को ही राजपत्र में प्रकाशित करने की स्वीकृति दी गई। आज गाँधी जयन्ती के दिन बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 अधिसूचित एवं राजपत्र में प्रकाशित हो चुका है।

   बिहार में पूर्ण मद्य निषेध लागू कर राज्य में सामाजिक परिवर्तन की बुनियाद रखी गयी है। संपूर्ण बिहार में इसके प्रति जनसामान्य विशेषकर महिलाओं में काफी उत्साह है। सामान्य जन भावना हमेशा से शराब के विरूद्ध रही है और इसीलिए हमारे निर्णय को अपार जन समर्थन प्राप्त हुआ है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की महिलाओं, बच्चों तथा पुरुषों ने इस कदम का स्वागत किया। इसके अलावे अन्य राज्यों में विभिन्न सामाजिक संगठनों और महिला समूह जो शराब के विरूद्ध अभियान चला रहे हैं, वे भी हमारे निर्णय से उत्साहित हैं। शराबबंदी के अन्य प्रयासों की तुलना में, बिहार सरकार का यह प्रयास अनूठा है क्योंकि मजबूत तंत्र और सामाजिक भागीदारी दोनों इस अभियान के अभिन्न अंग हैं। सरकार ने सभी के सहयोग से शराबबंदी के इस सामाजिक अभियान को जन आंदोलन में बदला है। साथ ही साथ प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने तथा इसे नियंत्रित करने हेतु उपयुक्त कानूनी प्रावधान भी किए गए हैं। पूर्ण शराबबंदी से समाज अधिक सशक्त, स्वस्थ्य एवं संयमी हो रहा है, जिसका अतुल्य प्रभाव बिहार की प्रगति में परिलक्षित होगा। बिहार में लागू शराबबंदी का सकारात्मक प्रभाव समाजिक सौहार्द पर पड़ा है और गाँव एवं शहरों में शांति एवं सद्भाव का माहौल स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है।

   गाँधी जयन्ती के पुनीत दिवस पर मद्य निषेध का नया कानून लागू हुआ है। चम्पारण सत्याग्रह के सौवें साल में राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी को यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है। यह अवसर है कि हम सभी शराबबंदी के अपनी मुहिम के संकल्प को दोहराते हुये यह स्पष्ट संदेश दें कि हमारा निश्चय अटल है और इस सामाजिक बदलाव के कार्य में हम पूरी इच्छा शक्ति के साथ लगे रहेंगे।